

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, नाकोडा)


प्रकरण सं.:- 126/2018

दिनांक:-19.6.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/ 1713

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी सिणधरी व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम गेहूँवाली नाडी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या 58 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि चैनसिंह पुत्र धींगसिंह के स्थान पर चैनसिंह पुत्र धेगसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-19.6.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/ 1714-16

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री चैनसिंह पुत्र धेगसिंह निवासी गेहूँवाली नाडी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी